

न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : सुरेन्द्र सिंह पुरोहित, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 50 / 2022

अपीलार्थीगण –

1. भंवरलाल पुत्र भारमल
 2. ओमप्रकाश पुत्र भारमल
 3. पालूदेवी पत्नी भारमल
 4. मोहन पुत्र प्रेमराम
 5. रूगनाथ पुत्र प्रेमराम
 6. सोनाराम पुत्र प्रेमराम
 7. श्रीमती सुगणी पत्नी प्रेमराम
- जाति बिश्नोई निवासी बारूड़ी
तहसील गुड़ामालानी जिला
बाड़मेर

बनाम

उत्तरदाता–

राजस्थान राज्य जरिये
तहसीलदार गुड़ामालानी जिला
बाड़मेर

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय दिनांक 26.05.2022 जो प्रकरण सं. 03/2022 में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :-

1. श्री भाखराराम गोदारा, अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. राजकीय अभिभाषक, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 28.02.2023

1. अपीलार्थीगण की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रकरण सं. 03/2022 सरकार बनाम भंवरलाल व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 26.05.2022 के विरुद्ध पेश की गई है।
2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि पटवारी हल्का भाखरपुरा द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन कि मौजा बारूड़ी के खसरा नम्बर 240 रकबा 0.5666 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन नाडी में से 0.0971 हैक्टेयर भूमि पर गैर सायलान द्वारा अपीलाधीन



अपर जिला कलक्टर
बाड़मेर

सिवाय चक भूमि पर अवैध कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है, जिसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार गुडामालानी द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायलान को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। गैर सायलान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। नायब तहसीलदार गुडामालानी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं गैर सायलान के जवाब का परीक्षण एवं विवेचन उपरांत गैर सायलान को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 26.05.2022 के द्वारा 50/- रुपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने दिनांक 08.08.2022 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने के लिए धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र एवं स्थगन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलार्थीगण की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।
4. हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर बिना कोई विश्लेषण किये कानूनी प्रक्रिया के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलार्थीगण अन्य पिछड़ी जाति के ग्रामीण काश्तकार हैं जिनका हस्तगत प्रकरण में अपीलाधीन भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण कर बाड़ नहीं की गई है। यदि ऐसा होता तो तहसीलदार के समक्ष संबंधित सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा आवेदन पेश किया जाता, जबकि हस्तगत प्रकरण में स्थानीय राजनीतिक दबाव एवं व्यक्ति विशेष के दबाव में हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट पेश की गई है जिस पर नायब तहसीलदार गुडामालानी द्वारा अपीलधीन आदेश पारित किया गया है।



अपर जिला कलक्टर
बाड़मेर

नायब तहसीलदार गुडामालानी द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलकर्तागण को दिनांक 26.05.2022 को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की प्राप्ति पर अपीलाकर्तागण भंवरलाल, मोहन एवं रूगनाथ द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब एवं मौखिक निवेदन किया गया। नोटिस तामीली की सूचना अवशेष अपीलकर्तागण ओमप्रकाश, पालूदेवी, सोनाराम एवं सुगणीदेवी को नहीं होने से उक्त चारों अपीलकर्तागण अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाये। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपस्थित अपीलकर्तागण को आश्वासन दिया गया कि वे अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दें, अवशेष अनुपस्थित अपीलकर्तागण को आगामी तारीख में सुनवाई कर मौके पर स्वयं आकर जाँच की जायेगी। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौके की जाँच किये एवं सभी अपीलकर्तागण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही साक्ष्य-सबूतों के अभाव में एक तरफा आदेश दिनांक 26.05.2022 को पारित कर दिया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत एक तरफा रूप से पारित किया गया आदेश अपास्त फरमाया जावे।

5. अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने यह भी निवेदन किया कि दिनांक 14.07.2022 को जब हल्का पटवारी द्वारा अपीलकर्तागण से 50/- रुपये जुर्माना राशि जमा करने की मांग की तब ही उन्हें सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की नकल मांगने पर उन्हें दिनांक 14.07.2022 को प्राप्त हुई। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश पारित होने की सर्वप्रथम जानकारी होने से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र मय स्थगन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपील अन्दर मयाद शुमार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाने एवं अपीलाधीन आदेश की क्रियान्विति स्थगित रखे जाते हुए मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने का निवेदन किया है।



अपर जिला कलक्टर
बाइमेर

6. रेस्पोंडेंट की ओर से जवाब में राजकीय अभिभाषक ने प्रकट किया है कि अपीलार्थीगण के विरुद्ध हल्का पटवारी की ओर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थीगण द्वारा मौजा बारुड़ी के खसरा नम्बर 240 रकबा 0.5666 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन नाडी (सरकारी भूमि) में से 0.0971 हैक्टेयर भूमि पर गैर सायलान द्वारा अपीलाधीन सिवाय चक भूमि पर अवैध कब्जा-काश्त कर अतिक्रमण कर बाड़ का निर्माण कर लिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही संस्थित कर अपीलकर्तागण को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। दौरान सुनवाई अपीलकर्तागण द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत जवाब तथ्यों के परे एवं प्रतिरक्षण का ठोस आधार नहीं होने से अपीलार्थीगण को मुतनाजा भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया है तथा इसके प्रतिरक्षण स्वरूप कोई साक्ष्य-सबूत नहीं है। इस पर अपीलार्थीगण पर जुर्माना अधिरोपित करते हुए सरकारी भूमि से बेदखल करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि अनुकूल एवं उचित है, लिहाजा अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से खारिज की जाए।

7. हमने दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलाधीन खसरा नंबर 240 रकबा 0.5666 हैक्टेयर गैर मुमकिन नाडी है जिसमें से 0.0971 हैक्टेयर भूमि पर अपीलकर्तागण द्वारा बाड़ निर्माण कर अतिक्रमण की रिपोर्ट हल्का पटवारी भाखरपुरा द्वारा प्रस्तुत की गई है। अधिवक्ता अपीलकर्तागण का कथन है कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है और साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही एक तरफा आदेश पारित कर दिया गया है। उक्त भूमि पर गौशाला बनी हुई है जिसमें टांका, हौद, खेती, चारे के लिए कमरा इत्यादि बने हुए हैं तथा गौशाला के चारों तरफ बाड़ का निर्माण किया गया है जिससे पशुओं का



अपर जिला कलक्टर
बाड़मेर

संरक्षण होता है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपने उक्त कथन के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि मौके पर गौशाला प्रयोजनार्थ भूमि आरक्षित अथवा आवंटित की गई है तथा विधिवत रूप से कोई गौशाला संचालित हो रही हों, अपितु स्वयं अपीलांट्स का गौशाला की आड़ में सरकारी भूमि पर अपने अवैध अतिक्रमण को संरक्षण प्राप्त करने का आशय प्रतीत होता है। इस प्रकार नायब तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष हलका पटवारी की धारा 91 की रिपोर्ट से मौके की वस्तुस्थिति स्पष्ट है कि अपीलांट्स द्वारा मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण कर बाड़ का निर्माण कर लिया है। अपीलांट्स द्वारा न तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं न ही इस न्यायालय के समक्ष विवादित सरकारी भूमि पर अपने कब्जे के बाबत स्वामित्व अथवा आधिपत्य हक अधिकार के बाबत कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, ऐसे में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट्स को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का जो निर्णय पारित किया गया है, उसमें हमारे मत से किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नहीं की गई है। फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलकर्तागण द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2022 यथावत बहाल रखा जाकर पुष्ट जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर
अपर जिला कलक्टर
बाड़मेर